



**कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: प्रारंभिक अधिसूचना ::-

क्रमांक / २८९ / भू-अर्जन / 2024

कोरवा, दिनांक 07-01-2025

क्रमांक 202109050500004 / अ-82 / 2020-21- यूके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संवधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में संबंधित प्रयोग के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

मूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	पाली	सिल्ली /10	444/1	0.042	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.वी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)	ए.डी.वी.परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली- सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य
			444/4	0.0432		
			630/3	0.0450		
			444/5	0.0368		
			598	0.018		
			630/1	0.0496		
			443/5	0.010		
			443/4	0.010		
			443/3	0.010		
			443/2	0.010		
			443/1	0.010		
			442/2	0.034		
			442/1	0.057		
			442/6	0.005		
			442/3	0.052		
			442/5	0.030		
			440	0.189		
			139	0.177		
			145	0.031		
			442/7	0.0094		
			600	0.165		
			630/5	0.046		
			630/2	0.048		
			630/4	0.046		
			138/1/ख/2	0.018		
			138/1/त्र	0.016		
			138/3	0.0294		

		153/4	0.003	
		196/1	0.048	
		194/1	0.082	
		628	0.036	
		629		
		599/1	0.049	
		599/4	0.049	
		602/1	0.040	
		602/3	0.049	
		635/4	0.2112	
योग:-		36 खसरे	1.8050	-

2.यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितवद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को रखयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्युत कर सकेगा।

3.भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4.प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5.प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6.प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
 जिला- कोरबा (छ.ग.)


 (अर्जीत वसंत)
 कलेक्टर
 जिला - कोरबा (छ.ग.)
 एवं पदेन उप सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग